प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .....
प्र0इ0रि0 सं. 261/22 दिनांक. 29/6/2022

2. (I) अधिनियम ...पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018..... धारायें. 7.....
(II) अधिनियम .भा0दं0सं0 .. धारायें.....
(III) 'अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....567..... समय . 3.20 PM.
(ब) 'अपराध घटने की दिनांक 28.06.2022 समय 11.45 ए.एम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–उत्तर दूरी लगभग 60 किलोमीटर
(ब) 'पता .....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री राजेश कुमावत
(ब) पिता/पति का नाम श्री गिरधारी लाल कुमावत
(स) जन्म तिथि/वर्ष 43 वर्ष.....
(द) राष्ट्रीयता – भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय –
(ल) पता– बारावालो की बडी ढाणी वार्ड नम्बर 1, चौमू पुलिस थाना चौमू जिला जयपुर।

ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री दीवाकर पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण, उम्र 26 साल निवासी बी–19, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा हाल किरायेदार व्यास मार्केट चौमू हाल सहायक नगर नियोजक(संविदाकर्मी), कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू मण्डल जिला जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....कोई नहीं.....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य 15000/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

महोदय

निवेदन है कि दिनांक 24.06.2022 को परिवादी श्री राजेश कुमावत पुत्र श्री गिरधारी लाल कुमावत वार्ड नं. 1 चौमू जिला जयपुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. प्रथम, जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ''सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक su प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो जयपुर विषय मेरा आबादी का पट्टा है नगर पालिका चौमू आवेदन पश्चात श्री दिवाकर शर्मा JEN नगर पालिका को रंगे हाथो पकड़वाने के क्रम में, महोदय मे राजेश कुमावत पुत्र श्री गिरधारी लाल कुमावत वार्ड नं. 1 चौमू का रहने वाला हूँ में उक्त बारावाले की बडी ढानी वार्ड नं 1 का आबादी का पट्टा बनवाने के लिये नगर पालिका चौमू मे आवेदन किया था जिसके समर्थ कागजात मैने सारे दस्तावेज नगर पालिका मे जमा करवा दिये थे फिर मैने कई बार नगर पालिका के चक्र काटे तो एक दिन दिनांक 21/06/2022 को मे नगर पालिका गया तो वहां के JEN श्री दिवाकर शर्मा मेरे से 40000 हजार रू. कि रिसवत राशि की मांग की मे श्री दिवाकर शर्मा को यहा रिशवत नही देना चाहता रिसवत लेते हुये श्री दिवाकर शर्मा को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ मेरी दिवाकर शर्मा से कोई व्यक्तिगत रंजिस नही है नाही कोई उधार का लेन देन है। प्रार्थी राजेश कुमावत पुत्र श्री गिरधारी लाल कुमावत निवासी बारावालो की बड़ी ढाणी वार्ड नं. 1 चौमू मो. 9672981676 24/06/2022 कार्यवाही ACB दिनांक 24–6–2022 समय 12.50 PM अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो SU प्रथम ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष मे बुलाया जहां पर उनके सामाने एक

व्यक्ति पेन्ट शर्ट पहने हुये कुर्सी पर बेठा हुआ था। अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक ने उनके सामने बैठे व्यक्ति का परिचय परिवादी राजेश कुमावत के रूप मे करवाया गया व परिवादी का प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही का पृष्ठांकन कर मन पुसिल निरीक्षक को कार्यवाही हेतु सूपूर्द किया गया। परिवादी श्री राजेश कुमावत व परिवादी के प्रार्थना पत्र के साथ मन पुलिस निरीक्षक अपने कार्यालय कक्ष मे आयी। परिवादी का नाम पता पुछा तो परिवादी ने अपना नाम राजेश कुमावत पुत्र श्री गिरधारी लाल कुमावत जाति कुमावत उम्र 43 साल पेशा इलक्ट्रीशीयन निवासी बारावालो की बडी ढाणी वार्ड नं. 1 चौमू पुलिस थाना चोमू होना बताया। परिवादी से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे मे पूछा तो प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया व पढकर सुनाया जाने पर प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को अपनी जानकारी मे होना व सही होना बताया। परिवादी से दरियाफ्त करने पर बताया की मेरी ढाणी वार्ड नं. 1 मे आबादी भूमि का पट्टा बनाने के लिये नगर पालिका चौमू मे मय दस्तावेजो के आवेदन किया जाने पर मेरा पट्टा नही बनाया जाने पर मैं दिनांक 21–6–2022 को नगर पालिका मे JEN दिवाकर शर्मा से मिला तो उसने मेरा आबादी भूमि का पट्टा बनाने के लिये 40000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई मेरी श्रमद दिवाकर शर्मा से काई आपसी रंजिस नहीं है ना ही लेन देन शेष है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रव दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग पाया जाने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर परिवादी राजेश कुमावत को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने की प्रकिया व संचालन तथा रखरखाव की विधि समझाई जाकर कानिस्टेबल श्री रविन्द्र कुमार कानि. न.467 को कार्यालय में बुलाया जाकर परिवादी से एक दूसरे का आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करने के लिये श्री रविन्द्र कुमार कानि. को जरिये फर्द सुपुर्दगी पृथक से मूर्तिब कर सुपुर्द कर शामिल कार्रवाई कर हिदायत दी गई कि आरोपी के पास जाने से पूर्व परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करे। श्री रविन्द्र कुमार कानि. न.467 को परिवादी के साथ सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

उक्त दिनांक को श्री रविन्द्र कानि मय परिवादी राजेश कुमावत के सत्यापन में गये हुये उपस्थित कार्यालय होकर श्री रविन्द्र कुमार कानि. ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया गया। श्री रविन्द्र कानि. ने बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के साथ उसकी मोटर साईकिल में रवाना होकर कार्यालय नगर पालिका चौमू जिला जयपुर के बाहर मैने परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर संदिग्ध एसओ से बातचीत करने के लिये रवाना किया गया। मैं बाहर अपनी उपस्थिति छिपाये हुये खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी राजेश कुमावत संदिग्ध आरोपी से रिश्वत की बातचीत करके उपस्थित आया मेरे द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर बन्द किया गया मुझे परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि की बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है तथा आरोपी ने सत्यापन के दौरान मेरे से कुल 37000/–रूपये की मांग कर 5000/–रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर ली है तथा मेरे से सौदा कुल 35000/–रूपये में तय किया गया है। इसके पश्चात परिवादी ने कानि. रविन्द्र कानि. की बातो की ताईद करते हुए बताया कि मैं रविन्द्र कानि. के साथ ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय नगर पालिका चौमू के बाहर पहुँचे जहॉ पर मुझे रविन्द्र कानि.ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर सुपुर्द किया गया। मैं अन्दर जाकर श्री दिवाकर शर्मा जेईन साहब से मेरे पट्टे के बारे मे बातचीत की गयी लोग उनको एटीपी साहब बोल रहे थे जो कि जेईएन नहीं होकर सहायक नगर नियोजक (एटीपी) है। जिनके द्वारा मेरे पट्टे से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र लिखवाया व मुझे कॉफी के लिये पूछा गया तथा उसके बाद मुझे बाहर लाकर मेरे से मेरा पट्टा बनाने की एवज में कुल 37000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर कहॉ कि सबको पैसे बाटना पडता है। मेरे से 5000/–रूपये तत्समय ही प्राप्त कर लिये गये तथा मेरे से 35000/–रूपये रिश्वत की मांग कर सौदा तय किया है अब आरोपी दिवाकर शर्मा को 30000/–रूपये देना शेष रहा है दिवाकर शर्मा ने कहॉ कि आपको पट्टा दिनांक 28.06.2022 को मिल जायेगा। मेरे से कहॉ कि आप पैसे देते रहना आपका काम हो जायेगा। इसके पश्चात मैने टेप लाकर रविन्द्र कुमार कानि. को सुपुर्द कर दिया था। तत्पश्चात रवाना होकर आपके पास उपस्थित आये। परिवादी की बातो की ताईद के लिये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो रिश्वत राशि की मांग की जाना पाया जाने पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में दुरूस्त रखा गया। परिवादी को दिनांक 27.06.2022 को रिश्वत राशि आरोपी को देने की व्यवस्था कर कार्यालय पर उपस्थित आने के लिये गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रूखस्त किया गया। दिनांक 27.06.2022 को स्वतंत्र गवाह को पाबन्द किया गवाह उपस्थित आये जिनमे से एक स्वतंत्र गवाह ने अपना नाम सौरभ अग्रवाल कनिष्ठ सहायक व श्री सुनील गोलेछा कनिष्ठ सहायक होना बताया । परिवादी राजेश कुमार से दोनों स्वतंत्र गवाह का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाह को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में अवगत कराया जाकर गवाह बनने की सहमति चाही जाने पर दोनों गवाह ने गवाह बनने की पृथक–पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गयी। इसके पश्चात परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को निकाल कर चालू कर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान नाम सौरभ अग्रवाल कनिष्ठ सहायक व श्री सुनील गोलेछा कनिष्ठ सहायक के समक्ष परिवादी राजेश कुमावत व संदिग्ध आरोपी दिवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल चौमू जिला जयपुर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं की फर्द ट्रांसकिप्ट/अनुलिपी पृथक से शुरू कर मूर्तिब कर तीन सीडीयां मार्क ए–1, ए–2, ए–3 तैयार कर शामिल ट्रेप कार्यवाही की गई।परिवादी श्री राजेश कुमावत ने बताया कि श्री दिवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक नगर पालिका मण्डल चौमू मेरे से रिश्वत राशि दो किश्त में भी ले लेगा क्योंकि अभी शायद मेरा पूरा काम हुँआ नही है।परिवादी श्री राजेश कुमावत व दोनो स्वतंत्र गवाह को दिनांक 28.06.2022 को ब्यूरो कार्यालय पर समय 9.00 ए.एम. पर उपस्थित आने के लिये रूखस्त किया गया। दिनांक 28.06.2022 को परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये।

समय 9.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री राजेश कुमावत को संदिग्ध आरोपी श्री दिवाकर शर्मा ए.टी.पी (सहायक नगर नियोजक) कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका चौमू जयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने अपने पास से 2000–2000 हजार रूपये के 05 नम्बरी नोट राशि 10000/–रूपये व 500–500 सौ रूपये के 10 नम्बरी राशि 5000/–रूपये इस प्रकार कुल 15,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये गये जिनके नम्बर फर्द में अंकित करवाकर श्री शिंवशंकर वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थैलीन पाऊडर लगवाया जाकर रासायनिक किया का प्रदर्शन कर महत्व समझाया गया तथा गवाह श्री सौरभ अग्रवाल से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी श्री राजेश कुमावत के पास एक मोबाईल मिला है जो परिवादी के पास छोडा है। इसके अतिरिक्त परिवादी श्री राजेश कुमावत के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि श्री राजेश कुमावत की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री शिवशंकर से रखवाई जाकर रासायनिक प्रकिया का महत्व समझाया जाकर निर्धारत ईशारा बताया जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एंव प्रदर्शन फिनोफ्थैलीन एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर व फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मूर्तिब की जाकर शामिल कार्रवाई की गयी।

इसके पश्चात समय 10.15 ए.एम पर श्री बहादुर सिंह उप अधीक्षक पुलिस, श्री नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री उदयभान मुख्य आरक्षी, श्री अनोख कुमार कानि0 161,रविन्द्र कानि. न.467 स्वतंत्र गवाह श्री सौरभ अग्रवाल व सुनील गौलेछा मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 4922 मय चालक श्री बजरंग लाल ड्राईवर कानि. नम्बर 342 को बजानिब चौमू के लिये रवाना कर मन् अर्चना मीना पुलिस निरीक्षक मय श्री रमेश मुख्य आरक्षी मय श्री राजकृष्ण कानि. मय परिवादी श्री राजेश कुमावत मय प्राईवेट वाहन के चौमू के लिये रवाना होकर समय 11.20 पीएम पर कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल चौमू जिला जयपुर के बाहर पहुॅचे। जहॉ पर परिवादी श्री राजेश कुमावत को आरोपी श्री दिवाकर शर्मा को रिश्वत राशि देने के लिये रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक व अन्य ब्यूरो स्टॉफ पीछे–पीछे रवाना होकर सभी अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाये हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम रहे।

परिवादी श्री राजेश कुमावत ने समय 11.45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित इशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान के रवाना होकर नगर पालिका चौमू जिला जयपुर की सीमा मे नगर पालिका के मुख्य भवन के पीछे पहुॅचे जहां पर परिवादी के साथ एक सफेद शर्ट जिसमे नीले रंग की प्रिंट व मेहन्दी कलर की पेन्ट पहने हुये दुबला पतला एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया व पीछे के गेट से नगर पालिका मे प्रवेश करने लगा। परिवादी मन् पुलिस निरीक्षक के पास आने पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री राजेश कुमावत ने जाते हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री दिवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक, कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू जिला जयपुर है जिन्होने आज मेरे से पूर्व में हुई रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में 15000/–रूपये रिश्वत राशि दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब मे रख लिये तथा मेने आपको ईशारा किया। इस पर उक्त जाते हुये व्यक्ति को डिटेन कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान् का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत करवाया व नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम श्री दिवाकर पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण, उम्र 26 साल निवासी बी–19, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा हाल किरायेदार व्यास मार्केट चौमू, हाल सहायक नगर नियोजक, कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू जिला जयपुर होना बताया, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री राजेश कुमावत की और ईशारा कर आरोपी श्री दिवाकर शर्मा से पूछा कि क्या आपने अभी–अभी इससे 15000/–रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने दोनो हाथो से गिनकर पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की जेब मे रखी है इस पर आरोपी श्री दिवाकर शर्मा ने बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है दिनांक 21.06.2022 को श्री राजेश कुमावत मेरे पास आया व बताया कि मेरा पट्टा नगर पालिका चौमू से जारी होना है मेरी बिजली की साईट चल रही है मुझे 40000 रू. की अर्जेन्ट आवश्यकता है दो तीन दिन मे दे दूंगा। मैने राजेश कुमावत की बात पर विश्वास कर लिया तथा 20000 रू. मेरे पास से व 20000 रू. अन्य से लेकर उधार दिये थे। दिनांक 24.06.2022 को श्री राजेश कुमावत मेरे पास आया व मुझे कहा कि 5000 रू. की व्यवस्था ही हुयी है तथा बाकी पैसे मै आपको बाद मे दे दूंगा। आज दिनांक को राजेश कुमावत मेरे पास आया व कहा कि मेरे पास अभी 15000 रू. की व्यवस्था हुयी है बाकी के पैसे बाद मे दे दूंगा। उक्त पैसे ही मैने राजेश कुमावत से लिये है जिस पर परिवादी श्री राजेश कुमावत से पूछा तो राजेश कुमावत ने बताया कि श्री दिवाकर शर्मा ए.टी.पी. झूठ बोल रहे है मैने इनसे कोई राशि उधार नही ली है दिनांक 21.06.2022 को में मेरा आबादी का पट्टा जारी करवाने के लिये श्री दिवाकर शर्मा ए.टी.पी. से मिला तो मेरा पट्टा जारी करवाने की एवज मे 40000 रू. रिश्वत राशि की मांग की गयी जिस पर मैने दिनांक 24.06.2022 को एसीबी मे रिपोर्ट दी जाने पर आपके द्वारा टेप देकर मुझे भेजा जाने पर मैं दिवाकर शर्मा से मिला तो मेरा पट्टा दिनांक 28.06.2022 को जारी करवाकर ले जाने के लिये कुल 37000 रू. रिश्वत राशि की मांग 35000 रू. मे सौदा तय कर मेरे से 5000 रू. सत्यापन के दौरान् प्राप्त कर लिये व आज दिनांक को शेष रिश्वत राशि मे से 15000 रू. प्रथम किस्त के अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुये पेंट की पीछे की दाहिनी जेब मे रख लिये।

3

जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमरा जाप्ते मे से साफ पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर कांच के गिलास मे पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट की दो चम्मच डालकर मिश्रण तैयार कर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त एक गिलास मे श्री दिवाकर शर्मा के दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन के मिश्रण का गुलाबी हो गया, जिसको दो कांच की शीशीयों मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क RH–1, RH –2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया व इसी प्रकार दूसरे कांच के पानी के गिलास मे उक्त प्रकिया अपनाई जाकर श्री दिवाकर शर्मा के बाये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को गिलास मे डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो कांच की शीशीयों में आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क LH–1, LH –2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया।

आरोपी दिवाकर शर्मा द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखने से बाजार से एक पायजामा मंगवाया जाकर पहनी हुयी पेन्ट को सम्मान पूर्वक उतरवाया जाकर पायजामा पहनाया गया व पूर्व कि भांति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर गवाह श्री सौरभ अग्रवाल से पेन्ट की पीछे की जेब को उल्टा करवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट के घोल मे डूबोकर धुलवाया जाने पर जेब के धोवन का रंग गुलाबी होने से दो कांच की शीशीयों मे आधा आधा भर कर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क P–1, P–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी दिवाकर शर्मा की पेन्ट की जेब को सुखवाकर पेन्ट की जेब जेब काली होने से सम्बंधितो के हस्ताक्षर स्पष्ट नही होने के कारण एक कागज की चिट पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थेली मे रख कर सिल्ड मोहर कर मार्क P अंकित की सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया।

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री दिवाकर शर्मा द्वारा प्राप्त की गयी रिश्वत राशि गवाह श्री सुनिल गोलेछा कनिष्ठ सहायक के पास रखी गयी रिश्वत राशि का मिलान उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान् से पूर्व मे बनायी गयी फर्द पेश कशी से मिलान करवाया गया तो उक्त रिश्वत राशि फर्द पेशकशी अनुसार हूबहू होना पाये गये ।उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 15000/– के सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जे ए.सी.बी. लिये गये।

आरोपी श्री दिवाकर शर्मा से परिवादी श्री राजेश कुमावत की पट्टे की पत्रावली के बारे मे पूछा गया तो उक्त पत्रावली भूमि शाखा मे होना बताया, जिस पर कविता यादव कनिष्ठ सहायक उपस्थित आयी जिसने एक लाल रंग के बस्ते मे से परिवादी श्री राजेश कुमावत के आबादी के पट्टे की पत्रावली प्रस्तुत की गयी। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर परिवादी की उक्त पट्टे की पत्रावली मे नोटशीट के अनुसार दिनांक 23.06..2022 को पट्टा प्रारूप तैयार कर वास्ते हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है का अंकन होने से पट्टा जारी करने के लिये पट्टा पर भूखण्ड/भूमि का मानचित्र प्रस्तुत किया जाना शेष था। पट्टे का कुछ हिस्सा भरा हुआ था लेकिन पट्टे के दुसरे भाग पर पट्टे मानचित्र/साईट प्लान बनाया हुआ नही था। उक्त साईट प्लान सहायक नगर नियोजक श्री दिवाकर शर्मा द्वारा तैयार किया जाना शेष था जिससे परिवादी का कार्य आरोपी के पास लम्बित होना पाया गया। परिवादी का कार्य लम्बित होने से मूल पट्टे की पत्रावली को जब्त किया जाना न्यायोचित नहीं होने परिवादी के कार्य मे विलम्ब होने से अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू को मूल पट्टे की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया व प्रमाणित प्रतिया जरिये फर्द जब्ती पृथक से जब्त कर कब्जे ए.सी.बी. ली जावेगी। कार्यालय पर उपस्थित स्वास्थ्य निरीक्षक से श्री दिवाकर शर्मा के नियुक्ति आदेश के बारे मे पूछा गया तो श्री जयकिशन सैनी स्वास्थ्य निरीक्षक नगर पालिका चौमू ने कार्यालय आदेश कमांक 2660 दिनांक 12.10.2021 से श्री दिवाकर शर्मा के सहायक नगर नियोजक कार्यालय नगर पालिका मण्डल चौमू मे पदस्थापित किये जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी व शामिल कार्यवाही की गयी। पूर्व मे प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकार्डर को प्राप्त कर सुना तो रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता दर्ज होना पायी गयी।

परिवादी श्री राजेश कुमावत द्वारा दिनांक 04.10.2021 को कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चोमू मे पट्टे का आवेदन मय दस्तावेजो सहित किया गया था। परिवादी की उक्त पट्टे की पत्रावली मे नोटशीट के अनुसार दिनांक 23.06..2022 को पट्टा प्रारूप तैयार कर वास्ते हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है का अंकन है। आरोपी श्री दिवाकर पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण, उम्र 26 साल निवासी बी–19, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा हाल किरायेदार व्यास मार्केट चौमू जिला जयपुर हाल सहायक नगर नियोजक, कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू जिला जयपुर के द्वारा एक लोकसेवक होते हुऐ अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री राजेश कुमावत के बारावालो की बडी ढाणी, वार्ड नम्बर 1, चौमू मे स्थित भूमि का आबादी का पट्टा जारी करने की एवज मे दिनांक21.06.2021 को परिवादी से 40000 रू. रिश्वत राशि की मांग करना एवं दिनांक 24.06.2022 को परिवादी के वेद्य कार्य के लिये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान् आरोपी श्री दिवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक द्वारा कुल 37000 रू. रिश्वत राशि की मांग अपने लिये व अन्य के लिये कर 35000 रू. मे सौदा तय कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022 को 5000 रू. की रिश्वत राशि प्राप्त की गयी। आज दिनांक 28.06.2022 को आरोपी श्री दिवाकर शर्मा द्वारा अपनी मांग के अनुशरण मे परिवादी से 15000 रू. की रिश्वत राशि प्रथम किस्त के रूप मे अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब मे रखना व हुबहु रिश्वत राशि बरामद होना एवं दोनो हाथो व पेन्ट के पीछे की पेन्ट के धोवन का मिश्रण गुलाबी होने तथा परिवादी का कार्य आरोपी के पास लम्बित होने से आरोपी श्री दिवाकर पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण, उम्र 26 साल निवासी

बी–19, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा हाल किरायेदार व्यास मार्केट चौमू हाल सहायक नगर नियोजक, कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू जिला जयपुर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 पीसी एक्ट का प्रमाणित पाया गया। उक्त कार्यवाही के पृथक से विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वत राशि नोट व हाथ धुलाई तैयार कर शामिल कार्रवाई की गई।

परिवादी श्री राजेश कुमावत के वार्ड नम्बर 1, बारावालो की बडी ढाणी, चोमू जिला जयपुर मे स्थित भूखण्ड/भुमि का पट्टा चाहने का आवेदन दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन शहरो के संघ अभियान वर्ष 2021 के तहत मय आवेदन पत्र व दस्तावेजात् के पट्टा चाहने के लिये प्रस्तुत किया गया था, उक्त पट्टे की मूल पत्रावली श्रीमती कविता यादव कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर पालिका मण्डल चौमू ने एक लाल रंग के बस्ते से निकाल कर प्रस्तुत की गयी जिसका अवलोकन करने से उक्त पत्रावली पेज नम्बर 1 से 49 तक होना पायी गयी। परिवादी का कार्य लम्बित होने से मूल पट्टे की पत्रावली को जब्त किया जाना न्यायोचित नहीं होने एवं परिवादी के कार्य मे विलम्ब होने से अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू को मूल पट्टे की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया जाने पर श्री जयकिशन सैनी स्वास्थ्य निरीक्षक नगर पालिका चौमू ने उक्त मूल पट्टे की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां पेज नम्बर 01 से 49 तक प्रस्तुत की गयी जो ट्रेप कार्यवाही मे वांछित होने से प्रथम पृष्ठ व अंतिम पृष्ठ पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती पृथक से तैयार कर जब्त कर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया।

आरोपी श्री दिवाकर शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण, उम्र 26 साल निवासी बी–19, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा हाल किरायेदार व्यास मार्केट चौमू हाल सहायक नगर नियोजक (संविदाकर्मी), कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल चौमू जिला जयपुर को पृथक से फर्द गिरफ्तारी एंव जामा तलाशी मूर्तिब कर आरोपी को नियमानुासर गिरफ्तार किया गया । इसके पश्चात फर्द निरीक्षण घटनास्थल जरिये फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात रवाना होकर आरोपी का बाला–बाला स्वास्थ्य परीक्षण व कोविड–19 का परीक्षण करवाया जाकर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आयी।

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर परिवादी श्री राजेश कुमावत व आरोपी श्री दिवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक (संविदाकर्मी) के मध्य आज दिनांक 26.08.2022 को रिश्वत राशि लेन देन के समय हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाये जाने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को लेपटॉप की सहायता से सुनकर गवाहो की उपस्थिति में रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर तीन सीडीयॉ मार्क बी–1, बी–2, बी–3 तैयार की जाकर मार्क बी–1,बी–2 को अलग–अलग सफेद कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर कब्जे एसीबी लिया गया व सीडी मार्क बी–3 को अनुसंधान अधिकारी के लिये खुला रखा गया एवं फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट/अनुलिपी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी।आरोपी श्री दिवाकर शर्मा को अपनी आवाज का नमूना देने के लिये जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज देने के लिये कहॉ जाने पर आरोपी आरोपी द्वारा अपनी आवाज का नमूला नही देने के लिये स्पष्ट रूप से इंकार किया गया। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गयी। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल कार्रवाही की गई। शील्ड शुदा आर्टीकल्स व जप्त शुदा रिश्वत राशि व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व लेनेदन वार्ता की शील्ड शुदा सीडीयॉ जरिये पत्र जमा मालखाना करवायी गयी।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल,रिश्वत राशि लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि परिवादी श्री राजेश कुमावत द्वारा दिनांक 04.10.2021 को कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चोमू मे पट्टे का आवेदन मय दस्तावेजो सहित किया गया था। परिवादी की उक्त पट्टे की पत्रावली मे नोटशीट के अनुसार दिनांक 23.06..2022 को पट्टा प्रारूप तैयार कर वास्ते हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है का अंकन है। आरोपी श्री दिवाकर पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण, उम्र 26 साल निवासी बी–19, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा हाल किरायेदार व्यास मार्केट चौमू जिला जयपुर हाल सहायक नगर नियोजक, कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू जिला जयपुर के द्वारा एक लोकसेवक होते हुऐ अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री राजेश कुमावत के बारावालो की बडी ढाणी, वार्ड नम्बर 1, चौमू मे स्थित भूमि का आबादी का पट्टा जारी करने की एवज मे दिनांक21.06.2021 को परिवादी से 40000 रू. रिश्वत राशि की मांग करना एवं दिनांक 24.06.2022 को परिवादी के वेद्य कार्य के लिये रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान् आरोपी श्री दिवाकर शर्मा सहायक नगर नियोजक द्वारा कुल 37000 रू. रिश्वत राशि की मांग अपने लिये व अन्य के लिये कर 35000 रू. मे सौदा तय कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.06.2022 को 5000 रू. की रिश्वत राशि प्राप्त की गयी। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी दिवाकर शर्मा ने परिवादी से कहॉ कि " **कितने हजार रूपये सही सही बताना चालिस जो फिक्स बाहर , इससे कम क्या पांच, अठ्ठाईस तारीख को आपको पट्टा मिल जायेगा ठीक है, मैं आपके लास्ट सैतीस तक कर दूंगा तीन हजार वो भी मैं अपने खुद के कर रहा हूँ लास्ट पैतीस कर देना पैतीस से कम नहीं** "।दिनांक 28.06.2022 को आरोपी श्री दिवाकर शर्मा द्वारा अपनी मांग के अनुशरण मे परिवादी से 15000 रू. की रिश्वत राशि प्रथम किस्त के रूप मे अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की

जेब मे रखना व हुबहु रिश्वत राशि बरामद होना एवं दोनो हाथो व पेन्ट के पीछे की पेन्ट के धोवन का मिश्रण गुलाबी होने तथा परिवादी का कार्य आरोपी के पास लम्बित होने से आरोपी श्री दिवाकर पुत्र श्री मदनलाल शर्मा जाति ब्राम्हण, उम्र 26 साल निवासी बी–19, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा हाल किरायेदार व्यास मार्केट चौमू हाल सहायक नगर नियोजक, कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू जिला जयपुर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 पीसी एक्ट का अपराध कारित करना पाया जाने से उपरोक्त के विरूद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(अर्चना मीणा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एस.यू.–1जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-1, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दिवाकर, हाल सहायक नगर नियोजक (संविदाकर्मी), कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चौमू मण्डल, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 261/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी

29.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक : 2295-97 दिनांक 29.6.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, चौमू, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, एसयू-। जयपुर।

29.6.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।